शिक्षा मंत्रालय
उच्चरत शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3056
उत्तर देने की तारीख 15.03.2021

एसटीआरआईडीई (स्ट्राइड)

†3056. श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:
श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा समाज के व्यापक कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल संबंधी योजना ''स्कीम फॉर ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकॉनमी'' के उद्देश्य, प्रमुख विशेषताएं तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या यह योजना स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक समस्याओं के लिए नवोन्मेषी तथा व्यावहारिक समाधान ढूंढने के लिए युवा मेधावियों को सहायता, प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन द्वारा विविध विधाओं में अनुसंधान क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करेगा;
(ग) एसटीआरआईडीई (स्ट्राइड) योजना में शामिल देश के राज्यों तथा जिलों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उक्त योजना से भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होने की संभावना है; और
(ड़.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गुजरात के छात्रों के लिए योजना के अधिकतम लाभों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अनुसंधान संस्कृति, नवाचार को मजबूत करने और राष्ट्रीय विकास के लिए प्रासंगिक अन्तर-विषयक अनुसंधान में सहायता

करने भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए और मानविकी और मानव विज्ञान और भारतीय ज्ञान प्रणाली केचिन्हित प्रमुखक्षेत्रोंमें अन्तर-विषयक अनुसंधान हेतुउच्च प्रभाव वाले राष्ट्रीय नेटवर्क परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजनाशुरू की है। योजना के दिशानिर्देश https://www.ugc.ac.in/pdfnews/2089255_STRIDE_FINAL_BOOK.pdf पर उपलब्ध हैं।

(ग): यूजीसी ने सूचित किया है कि प्रस्तावों की गहन समीक्षा के बाद, आखिरकार 35 संस्थानों को स्ट्राइडके तहत घटक -1 के लिए चुना गया। चयनित उच्च शैक्षणिक संस्थानों की सूची https://www.ugc.ac.in/pdfnews/1493134_LSPQ-No-3056-Annexure-I.pdf पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ): स्ट्राइड आत्मनिर्भर भारत के मिशन को बढ़ावा देता है और इस प्रकार भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। यह योजना देश के विश्वविद्यालयों / संस्थानों/ कॉलेजों के लिए लागू है, जो यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख के तहत अर्ह हैं।

*** ***